

गिरणपन् । गोन्द्र
 गालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 अलवर (राज०)

क्रमांक	वृत्त या कार्यवाही	
21	<p>पत्रावली सेवा हुई। सविस्तर रिपोर्ट का भवत्वोक्त डिमा जमा। अपील के साथ संलग्न डिमा अतिरिक्त की वफा - 5 के आदेश - पत्र पर अपीलान्त अतिरिक्त को सुना जमा। अपील SUBJECT to Limitation का एपिस्ट की आगे। तहत अदालत की पत्रावली तहत की आगे। सेवा। लागू। हेतु पत्रावली से आगिल समान जारी दिनांक 29.10.21 को सेवा हो।</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>	<p>पत्रा - तलकी 540 21-9-21 तलकी जारी 550 23-9-21</p>
21	<p>8 ¹⁰/₂₁ अतिरिक्त व वार एपिस्टोवियम के निर्देश से वार वार स्थिति किया हुआ है। वर पत्रावली के अनुसार बास्ते तलकी दिनांक 29.10.21 को सेवा हो।</p>	
21	<p>P.O सा. मतगणना वार्ड में उपस्त है।</p> <p>अतिरिक्त व वार एपिस्टोवियम के निर्देश से वार वार स्थिति किया हुआ है। वर पत्रावली के अनुसार बास्ते तलकी दिनांक 2.11.21 को सेवा हो।</p>	
21	<p>अतिरिक्त व वार एपिस्टोवियम के निर्देश से वार वार स्थिति किया हुआ है। वर पत्रावली के अनुसार बास्ते तलकी दिनांक 9.11.21 को सेवा हो।</p>	
9 ¹¹ / ₂₁	<p>पत्रावली सेवा हुई। अतिरिक्त अपीलान्त उपस्थित। अपीलान्त अतिरिक्त को अन्तरिम स्वगत आदेश - पत्र पर सुना तथा तहत अदालत के स्वपत्रीय आदेश दिनांक - 03.3.21 का भवत्वोक्त डिमा जमा। अपीलान्त अति० द्वारा निवेदन डिमा जमा कि अपी० विवादित आराजी में लख-रवातेदार हैं, और एक सहरवातेदार को स्पार्ड निषेधा से पाबन्द डिमा जाना सम्मोहित नहीं है। अतः निवेदन है कि तहत अदालत के आदेश का उच्चतम निरला डिमा जाये।</p>	

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि
अलवर (राज०)**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
-------------	--------------------

हमने अपी० अर्जि. के स्वपक्षीय धरत तर्कों पर जाँच किया तथा तहत अदालत के आदेश दिनांक 03.03.21 का अवलोकन किया, चूंकि अपी० विषादिन आराजी में सह-खातेदार हैं, और एड सह-खातेदार को सुने बिना उसके विरुद्ध अन्तर्निष्ठ स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, किंतु तहत अदालत में अपी० प्रतिवादी को बिना सुने स्वपक्षीय स्थगन जारी किया गया है जो कि वादून सम्मत नहीं है अतः तहत अदालत उपरवण्ड अधि० नीमराना के आदेश दिनांक 03.03.21 उक्तरण संख्या- 69/21 अनवान महेन्द्र सिंह निरन्जन का प्रत्यक्ष स्थगित करते हुये उक्तरण तहत अदालत उपरवण्ड अधिकारी नीमराना को बत निर्देश के साथ उपिपेवित (remanand) किया जाता है कि वे उनके मर्ह लम्बित प्राप्ति-पत्र 212 PT ACT का निरन्तरण CPC के आदेश 39 नियम 2(ड) में दी हुई सममापधि (30 दिवस) में किया जाना सुनिश्चित करें। अपी० को निमत दिनांक को तहत अदालत के समस्त उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है पत्रावली जैसल बुमार लेकर, नम्बर से कम की जाकर धाद तकमिल जाह्ला दाखिल दफ्तर की जावे।

**भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर**